NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 02-01-2026

विषय सूची

भारत को जलवायु-अनुकूल कृषि (CRA) की आवश्यकता

बुल्गारिया यूरोपीय संघ में सम्मिलित

भारत में ट्रांस पुरुषों के लिए पूर्वाग्रह और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच

राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम आंशिक रूप से लागू

गंगा संधि की अवधि समाप्त होने के पूर्व भारत और बांग्लादेश द्वारा संयुक्त जल मापन।

भारत के लैब-निर्मित हीरा बाज़ार का विस्तार

संक्षिप्त समाचार

संगीत कलानिधि पुरस्कार

आलोक प्रभात: डांस ऑफ द डॉन

निमेसुलाइड

थोरियम

लैंडस्टैक

भारत द्वारा बैंकों को NPS के अंतर्गत पेंशन फंड प्रायोजित करने की अनुमति

BSNL द्वारा वॉयस ओवर वाई-फाई (VoWiFi) लॉन्च

द्वितीयक प्रदूषक

प्राचीन मराठी साहित्य से स्पष्ट होता है कि सवाना अवनत वनों श्रेणी में नहीं

भारत-पाकिस्तान द्वारा परमाणु प्रतिष्ठानों और नागरिक कैदियों की सूची का आदान-प्रदान

भारत को जलवायु-अनुकूल कृषि (CRA) की आवश्यकता

संदर्भ

- भारत खाद्य सुरक्षा, वर्षा-आधारित कृषि और किसानों की आय पर बढ़ते जलवायु-परिवर्तन जोखिमों का सामना करने के लिए जलवायु-लचीली कृषि (CRA) के विस्तार को तीव्रता से आगे बढ़ा रहा है।

जलवायु-लचीली कृषि (CRA) क्या है?

- जलवायु-लचीली कृषि जैव-प्रौद्योगिकी और पूरक तकनीकों की एक श्रृंखला का उपयोग करती है ताकि कृषि पद्धतियों को मार्गदर्शित किया जा सके तथा रासायनिक इनपुट पर निर्भरता को कम किया जा सके, साथ ही उत्पादकता को बनाए रखा या सुधारा जा सके।
- **सम्मिलित उपकरण:** जैव उर्वरक और जैव कीटनाशक, तथा मृदा-माइक्रोबायोम विश्लेषण।
  - जीनोम-संपादित फसलें विकसित की जा सकती हैं जो सूखा, गर्मी, लवणता या कीट दबावों को सहन कर सकें।
  - एआई-आधारित विश्लेषण कई पर्यावरणीय और कृषि संबंधी चर को एकीकृत कर स्थानीय स्तर पर अनुकूलित कृषि रणनीतियाँ तैयार कर सकता है।

भारत को CRA की आवश्यकता क्यों है?

- **कृषि अर्थव्यवस्था**: भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र है जिसकी जनसंख्या में तीव्रता से वृद्धि हो रही है, जिससे उच्च और अधिक विश्वसनीय कृषि उत्पादकता की आवश्यकता पर दबाव बढ़ रहा है।
  - भारत के कुल शुद्ध बोए गए क्षेत्र का लगभग 51% वर्षा-आधारित है, और यह भूमि देश के लगभग 40% खाद्य उत्पादन करती है, जिससे यह जलवायु परिवर्तनशीलता के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हो जाती है।
- **पारंपरिक कृषि पद्धतियाँ पर्याप्त नहीं हैं**: ये पद्धतियाँ अकेले जलवायु परिवर्तन के बढ़ते दबावों का सामना नहीं कर सकतीं।
  - हालिया मॉडलिंग से पता चलता है कि सदी के अंत तक चावल जैसी मुख्य फसलों का उत्पादन 3-22% तक गिर सकता है, और सबसे खराब स्थिति में 30% से अधिक तक।
- **उन्नत उत्पादकता**: जलवायु-लचीली कृषि तकनीकों का एक समूह प्रदान करती है जो पर्यावरणीय स्वास्थ्य की रक्षा करते हुए उत्पादकता को बढ़ा सकती है।
  - यह भारत की खाद्य आयात पर निर्भरता को कम कर सकती है और खाद्य क्षेत्र में देश की रणनीतिक स्वायत्तता को सुदृढ़ कर सकती है।

वैश्विक परिदृश्य

- अमेरिका ने USDA क्लाइमेट-स्मार्ट एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री (CSAF) पहल के माध्यम से CRA को संघीय नीति में एकीकृत किया है, और जलवायु-स्मार्ट प्रथाओं में अरबों का निवेश किया है।
- CRA यूरोपीय संघ के ग्रीन डील और फार्म टू फोर्क रणनीति में निहित है, जिनका उद्देश्य रासायनिक इनपुट को कम करना तथा स्थिरता को बढ़ाना है।
- चीन की CRA रणनीति जलवायु-सहनशील फसल प्रजनन, बड़े पैमाने पर जल-बचत सिंचाई और कृषि डिजिटलीकरण पर केंद्रित है।
- ब्राज़ील उष्णकटिबंधीय जलवायु-लचीली फसल विकास में अग्रणी है, जिसे EMBRAPA के जैव-प्रौद्योगिकी अनुसंधान द्वारा संचालित किया जाता है।

चुनौतियाँ

- **कम अपनाना**: छोटे और सीमांत किसानों के बीच CRA तकनीकों का अपनाना सीमित पहुँच, जागरूकता और वहनीयता के कारण कम है, तथा जैव उर्वरकों व जैव कीटनाशकों की गुणवत्ता असंगतियों से जैविक विकल्पों पर विश्वास कमजोर होता है।
- **असमान वितरण**: जलवायु-लचीले बीजों का प्रसार धीमा है, जीन संपादन जैसे नए उपकरणों का अपनाना अभी उभर रहा है और राज्यों में असमान रूप से वितरित है।
- डिजिटल विभाजन सटीक कृषि और एआई-आधारित निर्णय उपकरणों की पहुँच को सीमित करता है।

- ये चुनौतियाँ मृदा क्षरण, जल की कमी और तीव्रता से बढ़ती जलवायु अस्थिरता से अधिक जटिल हो जाती हैं, जो वर्तमान अनुकूलन प्रयासों से आगे निकल सकती हैं।
- खंडित नीति समन्वय प्रगति को धीमा करने का जोखिम और बढ़ाता है।

सरकारी पहल

- **राष्ट्रीय नवाचार जलवायु-लचीली कृषि में**: 2011 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने एक प्रमुख नेटवर्क परियोजना 'राष्ट्रीय नवाचार जलवायु-लचीली कृषि में' शुरू की।
- **राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन** को विशेष रूप से वर्षा-आधारित क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है, जो एकीकृत खेती, जल उपयोग दक्षता, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और संसाधन संरक्षण के सामंजस्य पर केंद्रित है।
- **BioE3 नीति** ने CRA को जैव-प्रौद्योगिकी-आधारित समाधानों के विकास के लिए एक प्रमुख विषयगत क्षेत्र के रूप में स्थापित किया।
- Biostadt, IFFCO, GSFC, NFL और IPL Biologicals जैसी अग्रणी कंपनियाँ जैव-इनपुट प्रदान करती हैं जो मृदा स्वास्थ्य में सुधार करती हैं और रासायनिक निर्भरता को कम करती हैं।
- भारत के पास एक विस्तारित डिजिटल कृषि क्षेत्र भी है, जहाँ एग्रीटेक स्टार्टअप एआई-सक्षम परामर्श, सटीक सिंचाई, फसल-स्वास्थ्य निगरानी और उत्पादन पूर्वानुमान उपकरण प्रदान कर रहे हैं।

आगे की राह

- जलवायु-सहनशील और जीनोम-संपादित फसलों के विकास और कार्यान्वयन को तीव्र करने, जैव उर्वरकों एवं जैव कीटनाशकों के लिए गुणवत्ता मानकों और आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुदृढ़ करने, तथा छोटे किसानों द्वारा अपनाने के समर्थन हेतु डिजिटल उपकरणों एवं जलवायु परामर्श की व्यवस्था करने की आवश्यकता है।
- वित्तीय प्रोत्साहन, जलवायु बीमा और ऋण तक पहुँच किसानों को संक्रमण के दौरान समर्थन देने के लिए आवश्यक हैं।
- भारत को BioE3 ढाँचे के अंतर्गत एक सुसंगत राष्ट्रीय CRA रोडमैप की आवश्यकता है, जो जैव-प्रौद्योगिकी, जलवायु अनुकूलन और नीतियों को संरेखित कर बड़े पैमाने पर लचीलापन प्रदान कर सके।

Source: TH

बुल्गारिया यूरोपीय संघ में सम्मिलित

समाचार में

- हाल ही में, बुल्गारिया यूरो अपनाने वाला 21वाँ देश बन गया है, लगभग 20 वर्ष बाद जब इस बाल्कन राष्ट्र ने यूरोपीय संघ (EU) में प्रवेश किया था।

बुल्गारिया

- यह दक्षिण-पूर्वी यूरोप में बाल्कन प्रायद्वीप के पूर्वी भाग पर स्थित एक देश है।
- इसके उत्तर में रोमानिया है, जहाँ अधिकांश सीमा निचले डेन्यूब नदी द्वारा चिन्हित है।
- पूर्व में काला सागर, दक्षिण में तुर्की और ग्रीस, दक्षिण-पश्चिम में उत्तर मैसेडोनिया एवं पश्चिम में सर्बिया स्थित हैं।
  - राजधानी शहर, सोफ़िया, पश्चिम में एक पर्वतीय बेसिन में स्थित है।

पृष्ठभूमि

- 1992 की मास्ट्रिख़ संधि ने यूरोपीय संघ की स्थापना की।
- इसने एक सामान्य आर्थिक एवं मौद्रिक संघ, अर्थात् यूरोपीय आर्थिक और मौद्रिक संघ के गठन का मार्ग प्रशस्त किया।
- इसने एक सामान्य मुद्रा को अपनाने की अनुमति दी, जिसे एकमात्र वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार किया गया — यूरो।
  - यूरो सर्वप्रथम 12 देशों में 1 जनवरी 2002 को लागू किया गया। क्रोएशिया ने हाल ही में 2023 में इसमें प्रवेश किया।

- इसमें एकीकृत केंद्रीय बैंकिंग प्रणाली भी है, जिसने यूरोपीय केंद्रीय बैंक (ECB) की स्थापना की।
  - और एक सामान्य आर्थिक क्षेत्र भी है।

यूरोज़ोन क्या है?

- यूरोज़ोन, या आधिकारिक रूप से यूरो क्षेत्र, उस भौगोलिक और आर्थिक क्षेत्र को संदर्भित करता है जिसमें वे ईयू सदस्य शामिल हैं जिन्होंने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में पूरी तरह अपनाया है।
- **संरचना:** बुल्गारिया का यूरोज़ोन में प्रवेश इसे 27 ईयू सदस्यों में से 21वाँ राष्ट्र बनाता है।
  - शेष छह देश अपनी स्वयं की मुद्राओं का उपयोग करते हैं।
    - चार सूक्ष्म-राज्य — अंडोरा, मोनाको, वेटिकन सिटी और सैन मरीनो — ईयू के साथ समझौतों के माध्यम से यूरो का उपयोग करते हैं, जबकि कोसोवो और मोंटेनेग्रो बिना किसी समझौते के यूरो को अपनी एकमात्र मुद्रा के रूप में उपयोग करते हैं। हालाँकि, इन देशों को यूरोज़ोन का सदस्य नहीं माना जाता।
  - क्रोएशिया 2023 में यूरोज़ोन में शामिल होने वाला अंतिम देश था।
- **पात्रता:** यूरोज़ोन सदस्यता के लिए पात्र होने हेतु, किसी ईयू देश (डेनमार्क को छोड़कर, जिसके पास ऑप्ट-आउट है) को "अभिसरण मानदंड" पूरे करने होते हैं, जिससे अन्य सदस्यों के साथ आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सरेखण सुनिश्चित हो सके।
  - इसमें यूरो को अपनाना, सामान्य बाज़ार में एकीकृत होना, और ईयू संधियों के अनुरूप राष्ट्रीय कानूनों एवं मौद्रिक नीतियों को समायोजित करना शामिल है, ताकि यूरोज़ोन को बाधित किए बिना सुगम संक्रमण सुनिश्चित हो सके।

यूरोज़ोन में शामिल होने के लाभ

- यूरोज़ोन अपने सदस्यों को विभिन्न लाभ प्रदान करता है, जिनमें मूल्य स्थिरता, कम ब्याज दरें और सामान्य मुद्रा के माध्यम से आसान बाज़ार पहुँच शामिल हैं।
- यूरो उपभोक्ताओं को सदस्य देशों में कीमतों की तुलना करने की अनुमति देता है, मुद्रा विनिमय लागत को कम करता है तथा व्यापार, श्रम और पूंजी की गतिशीलता को सुगम बनाता है।
- बुल्गारिया जैसे सदस्य ECB की गवर्निंग काउंसिल में सीट प्राप्त करते हैं, जिससे वे यूरोज़ोन के आर्थिक आकार के कारण बाहरी आघातों से सुरक्षित रहते हैं।
- इसके अतिरिक्त, यूरो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आरक्षित मुद्रा होने के नाते यूरोपीय एकीकरण को सुदृढ़ करता है, पर्यटन को बढ़ावा देता है और आर्थिक प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है।

Source :TH

भारत में ट्रांस पुरुषों के लिए पूर्वाग्रह और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच

संदर्भ

- कानूनी मान्यता और कल्याणकारी पहलों के बावजूद, ट्रांसजेंडर पुरुष एवं जन्म से महिला (AFAB) के रूप में पहचाने गए लैंगिक-विविध व्यक्ति भारत में अब भी प्रणालीगत भेदभाव तथा समावेशी स्वास्थ्य सेवाओं तक अपर्याप्त पहुँच का सामना करते हैं।

स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच में प्रमुख समस्याएँ

- **संरचनात्मक और संस्थागत बाधाएँ**: सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में निरंतर गलत लैंगिक पहचान, निर्णयात्मक दृष्टिकोण और देखभाल से इनकार।
  - स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के अंतर्गत लैंगिक पहचान प्रमाणपत्रों से जुड़ी है, जिससे प्रशासनिक अवरोध उत्पन्न होते हैं।
  - चिकित्सा पेशेवरों में लैंगिकता की द्विआधारी समझ ट्रांसमैस्क्युलिन और नॉन-बाइनरी पहचानों को बाहर कर देती है।
- **ज्ञान और अनुसंधान की कमी**: भारत में ट्रांस पुरुषों और AFAB व्यक्तियों के लिए लैंगिक-पुष्टि देखभाल पर सीमित शोध।

- चिकित्सा पाठ्यक्रम और नैदानिक अभ्यास मुख्य रूप से ट्रांस महिलाओं के अनुभवों से प्रभावित हैं, जिससे ट्रांस पुरुषों पर असमान ध्यान दिया जाता है।
- विविध लैंगिक पहचानों और यौन विशेषताओं (GIESC) के लिए ICMR समर्थित, भारत-विशिष्ट नैतिक एवं पुष्ट चिकित्सा प्रोटोकॉल का अभाव।

- **अनैतिक प्रथाएँ**: हिस्टेरेक्टॉमी जैसी चिकित्सकीय रूप से आवश्यक प्रक्रियाओं से मनाही, पितृसत्तात्मक और प्रजनन पूर्वाग्रहों के कारण।
  - अनावश्यक आक्रामक परीक्षणों की रिपोर्टें, जो शारीरिक स्वायत्तता और चिकित्सा नैतिकता का उल्लंघन करती हैं।
- **हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी (HRT) में चुनौतियाँ**: टेस्टोस्टेरोन थेरेपी की खुराक, जोखिम और दीर्घकालिक दुष्प्रभावों पर अपर्याप्त परामर्श।
  - शरीर के वजन या स्वास्थ्य स्थितियों से जुड़ी मानकीकृत खुराक दिशानिर्देशों का अभाव।
  - ट्रांस-पुष्टि एंडोक्रिनोलॉजिस्ट तक सीमित पहुँच और सार्वजनिक बीमा योजनाओं में प्रशासनिक बाधाओं के कारण आत्म-औषधि का उच्च स्तर।

इसके निहितार्थ क्या हैं?

- **नैतिक निहितार्थ**: यह सार्वजनिक सेवा वितरण में नैतिकता, सहानुभूति और जीवन-अनुभवों के कमजोर एकीकरण को दर्शाता है।
  - गरिमामय स्वास्थ्य सेवा से मनाही अनुच्छेद 21 (जीवन और गरिमा का अधिकार) का उल्लंघन करता है।
  - औपचारिक समानता (कानून) और वास्तविक समानता (परिणाम) के बीच अंतर को उजागर करता है।
- **स्वास्थ्य निहितार्थ**: आत्म-औषधि और असुरक्षित हार्मोन उपयोग को बढ़ाता है, जिससे दीर्घकालिक स्वास्थ्य जोखिम बढ़ते हैं।
  - यह खराब मानसिक स्वास्थ्य परिणामों की ओर ले जाता है, जिनमें चिंता, अवसाद और तनाव शामिल हैं।
- **आर्थिक निहितार्थ**: खराब स्वास्थ्य परिणामों के कारण उत्पादक कार्यबल की भागीदारी की हानि।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019**: संसद द्वारा पारित यह कानून शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के विरुद्ध भेदभाव को समाप्त करने तथा आत्म-धारित लैंगिक पहचान के अधिकार को मान्यता देने का लक्ष्य रखता है।
- **राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर व्यक्ति परिषद**: अधिनियम 2019 के अनुपालन में गठित, यह परिषद केंद्र सरकार को नीतियों, कार्यक्रमों, कानूनों और परियोजनाओं के निर्माण एवं मूल्यांकन पर परामर्श देती है।
- **राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर व्यक्ति पोर्टल**: 2020 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया।
  - कोई भी ट्रांसजेंडर आवेदक बिना किसी भौतिक संपर्क के पहचान प्रमाणपत्र और पहचान पत्र प्राप्त कर सकता है।
  - **मित्र क्लिनिक**: भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर-नेतृत्व वाला स्वास्थ्य केंद्र, हैदराबाद, तेलंगाना में स्थापित। यह पूरी तरह से ट्रांस समुदाय के सदस्यों द्वारा संचालित है।
- जनवरी 2025 में वित्तपोषण कटौती के कारण बंद हुआ लेकिन टाटा ट्रस्ट्स के समर्थन से **सबरंग क्लिनिक** के रूप में फिर से खोला गया।
- **सेवाएँ:** सामान्य स्वास्थ्य सेवाएँ; हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पर नैदानिक परामर्श; एचआईवी/यौन संचारित संक्रमण (STI) का उपचार आदि।

न्यायिक उपाय

- **राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NLSA) बनाम भारत संघ (2014)**, जिसे प्रसिद्ध रूप से *NALSA केस* कहा जाता है, के निम्नलिखित निहितार्थ हैं:
  - न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों को लैंगिक पहचान की कानूनी मान्यता देने का निर्देश दिया, चाहे वह पुरुष, महिला या तीसरा-लिंग हो।

- तीसरे-लिंग व्यक्तियों को "सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े नागरिक वर्ग" के रूप में मान्यता दी गई, जिन्हें शैक्षणिक संस्थानों एवं सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण का अधिकार है।

आगे की राह

- **नीति और संस्थागत सुधार**: लैंगिक-पुष्टि देखभाल के लिए ICMR-नेतृत्व वाले, भारत-विशिष्ट, साक्ष्य-आधारित प्रोटोकॉल विकसित करना।
- **क्षमता निर्माण**: चिकित्सा शिक्षा और सेवा-कालीन कार्यक्रमों में अनिवार्य लैंगिक-पुष्टि प्रशिक्षण।
  - भारतीय सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं के अनुरूप WPATH (ट्रांसजेंडर स्वास्थ्य के लिए विश्व व्यावसायिक संघ) प्रोटोकॉल को अपनाने की आवश्यकता।
- **समुदाय-केंद्रित दृष्टिकोण**: सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा वितरण में जीवन-अनुभव वाले सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का समावेश।
- **नियमन और सुरक्षा**: HRT खुराक, निगरानी और फॉलो-अप के लिए मानकीकृत दिशानिर्देश।

निष्कर्ष

- ट्रांस पुरुषों और लैंगिक-विविध व्यक्तियों द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं में सामना की जाने वाली चुनौतियाँ ज्ञान की कमी, पितृसत्तात्मक मानदंडों एवं अधिकार-आधारित कानूनों के कमजोर कार्यान्वयन जैसी गहरी प्रणालीगत समस्याओं को दर्शाती हैं।
- इन अंतरालों को दूर करना न केवल समावेशी स्वास्थ्य सेवा के लिए आवश्यक है बल्कि भारत में संवैधानिक नैतिकता, सामाजिक न्याय और नैतिक शासन को आगे बढ़ाने के लिए भी अनिवार्य है।

Source: TH

राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम आंशिक रूप से लागू

समाचार में

- केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 की कुछ प्रावधानों को अधिसूचित किया है।

राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम

- इसे मूल रूप से अगस्त 2025 में अधिसूचित किया गया था, जिससे विभिन्न प्रावधानों को अलग-अलग तिथियों पर लागू करने की अनुमति मिली।
- यह एक ऐतिहासिक कानून है जिसका उद्देश्य भारत में खेल निकायों के शासन का पुनर्गठन करना है।
- यह भारतीय खेल प्रशासन को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने का प्रयास करता है, साथ ही खिलाड़ियों के कल्याण और पारदर्शिता को प्राथमिकता देता है।

विशेषताएँ

- **राष्ट्रीय खेल शासी निकाय**: अधिनियम में राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति और प्रत्येक नामित खेल के लिए राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय खेल महासंघों की स्थापना का प्रावधान है।
  - राष्ट्रीय निकायों का संबद्धता संबंधित अंतर्राष्ट्रीय निकायों से होगी।
- **राष्ट्रीय खेल बोर्ड (NSB)**: अधिनियम केंद्र सरकार को राष्ट्रीय खेल बोर्ड स्थापित करने का अधिकार देता है।
- NSB राष्ट्रीय खेल निकायों को मान्यता प्रदान करेगा और उनके संबद्ध इकाइयों का पंजीकरण करेगा। केवल मान्यता प्राप्त निकाय ही केंद्र सरकार से धन प्राप्त करने के पात्र होंगे।
  - बोर्ड निर्दिष्ट शर्तों के अधीन ऐसी मान्यता या पंजीकरण को निलंबित या रद्द कर सकता है।
- **राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण**: अधिनियम खेल-संबंधी विवादों के निपटारे हेतु राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है।
  - इसका अधिकार क्षेत्र उन विवादों पर नहीं होगा जो अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा आयोजित खेलों से संबंधित हों या राष्ट्रीय खेल निकायों के आंतरिक विवाद हों।
- **चुनावों की निगरानी**: केंद्र सरकार राष्ट्रीय खेल निकायों के चुनावों की निगरानी हेतु निर्वाचन अधिकारियों का एक राष्ट्रीय पैनल स्थापित करेगी।

- प्रत्येक राष्ट्रीय खेल निकाय को भी अपने संबद्ध निकायों के चुनावों की निगरानी हेतु एक निर्वाचन पैनल गठित करना होगा।

उद्देश्य

- खेल प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही, नैतिक प्रथाओं और सुशासन को बढ़ावा देना।
- खिलाड़ियों के कल्याण को सुनिश्चित करना और ओलंपिक चार्टर, पैरालंपिक चार्टर तथा अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप खेल-संबंधी विवादों का प्रभावी एवं समयबद्ध समाधान प्रदान करना।
- निर्णय-निर्माण में खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।
- महासंघों में शासन संरचनाओं का मानकीकरण करना।
- समावेशिता और बुनियादी स्तर पर भागीदारी को बढ़ावा देना।

चिंताएँ

- आलोचकों का कहना है कि राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम कुछ महासंघों की स्वतंत्रता को कम कर सकता है।
- नई संरचनाओं में संक्रमण चल रही गतिविधियों को बाधित कर सकता है।
- NSB में शक्तियों का केंद्रीकरण नौकरशाही विलंब का कारण बन सकता है।
- खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य किया गया है, लेकिन वास्तविक सशक्तिकरण के बजाय प्रतीकात्मकता को लेकर चिंताएँ बनी हुई हैं।
- न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र और वर्तमान मध्यस्थता तंत्र के बीच ओवरलैप।

निष्कर्ष और आगे की राह

- राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम भारत के खेल प्रशासन को आधुनिक बनाने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है।
- इसका चरणबद्ध कार्यान्वयन परिवर्तन और निरंतरता के बीच संतुलन स्थापित करता है, तथा शासन को सुदृढ़ करने के साथ-साथ प्रतिस्पर्धात्मकता एवं स्वायत्तता बनाए रखने के लिए महासंघों व खिलाड़ियों के साथ सतत सहयोग आवश्यक है।

Source :TH

गंगा संधि की अवधि समाप्त होने के पूर्व भारत और बांग्लादेश द्वारा संयुक्त जल मापन।

संदर्भ

- भारत और बांग्लादेश ने गंगा एवं पद्मा नदियों पर संयुक्त जल मापन पहल शुरू की है क्योंकि गंगा जल बंटवारा संधि दिसंबर 2026 में समाप्त होने से पूर्व अपने अंतिम वर्ष में प्रवेश कर रही है।

गंगा जल बंटवारा संधि, 1996 के बारे में

- गंगा जल बंटवारा संधि 12 दिसंबर 1996 को भारत और बांग्लादेश के बीच हस्ताक्षरित हुई थी।
- यह संधि पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश सीमा से लगभग 18 किमी ऊपर स्थित फरक्का बैराज पर गंगा के जल बंटवारे को नियंत्रित करती है।
- यह संधि एक बड़ा कूटनीतिक सफलता थी, जिसने गंगा जल बंटवारे पर दशकों से चले आ रहे तनाव को समाप्त किया, जो 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के पश्चात से द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित कर रहा था।

गंगा जल विवाद की उत्पत्ति

- **फरक्का बैराज का निर्माण (1975)**: भारत ने 1975 में फरक्का बैराज का निर्माण पूरा किया ताकि जल को हुगली नदी में मोड़ा जा सके।
  - उद्देश्य था गाद को बाहर निकालना और कोलकाता बंदरगाह की नौगम्यता में सुधार करना।

बांग्लादेश की चिंताएँ

- निचले प्रवाह वाले राज्य के रूप में, बांग्लादेश ने तर्क दिया कि कम डाउनस्ट्रीम प्रवाह से:
  - कृषि और मत्स्य पालन को हानि हुई
  - नदी नौवहन बाधित हुआ
  - तटीय क्षेत्रों में लवणता का प्रवेश बढ़ा

- सुंदरबन पारिस्थितिकी तंत्र को खतरा हुआ
- यह असहमति दक्षिण एशिया के सबसे स्थायी अंतर-सीमाई जल विवादों में से एक बन गई।

उठाए गए कदम

- पाँच-वर्षीय गंगा समझौता (अंतरिम), 1977
- प्रवाह बंटवारे पर समझौता ज्ञापन 1982 और 1985
- तीस्ता जल बंटवारा समझौता: 2011; प्रस्तावित लेकिन हस्ताक्षरित नहीं।

आलोचना और चुनौतियाँ

- **बांग्लादेश की चिंताएँ**: दुबले महीनों में अपर्याप्त प्रवाह, लवणता का प्रवेश और मछली आवासों की हानि।
- **भारत की चिंताएँ**: उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में बढ़ती जल मांग।
- **जलवायु परिवर्तन के प्रभाव**: बदले हुए मानसून पैटर्न और ग्लेशियर पिघलने से भविष्य के प्रवाह की विश्वसनीयता खतरे में।

गंगा नदी के बारे में

- **उद्गम**: उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर; लंबाई: लगभग 2,525 किमी।
- **घाटी क्षेत्र**: भारत में लगभग 8,61,452 वर्ग किमी क्षेत्र को कवर करता है, जो 11 भारतीय राज्यों में भारत के भूमि क्षेत्र का लगभग 27% है।
  - यह भारत की 45% से अधिक जनसंख्या का समर्थन करता है।
  - गंगा नदी घाटी भारत की दूसरी सबसे जल-संकटग्रस्त घाटी है, जबकि इसे वर्षा के रूप में कुल जल इनपुट का 35.5% प्राप्त होता है, साबरमती घाटी के बाद।
- **कवर किए गए राज्य**: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और कई अन्य राज्यों के हिस्से।
- **प्रमुख सहायक नदियाँ**: यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी और सोन आदि।
  - गंगा फरक्का बैराज के नीचे बांग्लादेश में पद्मा नदी के रूप में प्रवेश करती है, और अंततः ब्रह्मपुत्र एवं मेघना नदियों से मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
- **डेल्टा**: विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन, भारत और बांग्लादेश द्वारा साझा किया जाता है।

Source: Money Control

भारत के लैब-निर्मित हीरा बाज़ार का विस्तार

संदर्भ

- भारत का लैब-निर्मित हीरा बाज़ार उच्च-विकास चरण में प्रवेश कर रहा है क्योंकि मांग तीव्रता से बढ़ रही है और विस्तार के बीच निवेश में वृद्धि हो रही है।

लैब-निर्मित हीरे

- लैब-निर्मित हीरे (जिन्हें सिंथेटिक या कल्चर्ड डायमंड भी कहा जाता है) वास्तविक हीरे होते हैं जिन्हें प्रयोगशालाओं में उन्नत तकनीक का उपयोग करके बनाया जाता है। यह तकनीक पृथ्वी के अंदर हीरे बनने की प्राकृतिक परिस्थितियों की नकल करती है।
- **संरचना**: शुद्ध कार्बन
- **क्रिस्टल संरचना**: प्राकृतिक हीरों जैसी (क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस)
- **भौतिक, रासायनिक और प्रकाशीय गुण**: खनन किए गए हीरों के समान।
- इन्हें बनाने के लिए रासायनिक वाष्प जमाव (CVD) और उच्च-दबाव उच्च-तापमान (HPHT) जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाता है।
- **HPHT (उच्च दबाव उच्च तापमान):** पृथ्वी के मैंटल की परिस्थितियों की नकल करता है।
  - कार्बन को अत्यधिक उच्च दबाव और तापमान में रखकर हीरे बनाए जाते हैं।
- **CVD (रासायनिक वाष्प जमाव):** कार्बन-समृद्ध गैस (जैसे मीथेन) को वैक्यूम चैम्बर में तोड़ा जाता है।
  - कार्बन परमाणु हीरे के बीज क्रिस्टल पर परत दर परत जमते हैं।

- **प्राकृतिक हीरों से अंतर:** प्राकृतिक हीरों में नाइट्रोजन के छोटे अंश होते हैं, जबकि लैब-निर्मित हीरे नाइट्रोजन-मुक्त होते हैं।
  - लैब-निर्मित हीरे पर्यावरण-अनुकूल और संघर्ष-मुक्त होते हैं।
  - खनन किए गए हीरों के विपरीत, जो 250 टन तक मृदा को हटाते हैं और ग्रीनहाउस गैसें उत्सर्जित करते हैं, लैब-निर्मित हीरे कम जल एवं ऊर्जा का उपयोग करते हैं।
- **लैब-निर्मित हीरों का बाज़ार:** 2024 तक, विश्व के लगभग 90% हीरे भारत में प्रोसेस किए जाते हैं, जो मूल्य के आधार पर वैश्विक कारोबार का लगभग 75% है।
  - लैब-निर्मित हीरों का बाज़ार 2024 में 12% से बढ़कर 2029 तक वैश्विक हीरा बाज़ार का 16% होने की संभावना है।

Source: BS

संक्षिप्त समाचार

संगीत कलानिधि पुरस्कार

संदर्भ

- संगीत कलानिधि पुरस्कार वायलिन वादक आर.के. श्रीरामकुमार को प्रदान किया गया।

परिचय

- संगीत कलानिधि पुरस्कार की स्थापना 1942 में मद्रास संगीत अकादमी द्वारा की गई थी।
- यह पुरस्कार कर्नाटक संगीत में उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च मान्यता माना जाता है और प्रायः इसे कर्नाटक संगीत का "नोबेल पुरस्कार" कहा जाता है।
- पुरस्कार में एक स्वर्ण पदक और एक बिरुदु पत्र (प्रशस्ति पत्र) शामिल होता है।
- 2005 से, संगीत कलानिधि पुरस्कार विजेताओं को द *हिंदू* द्वारा स्थापित एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है।

एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी की विरासत

- एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी एक प्रतिष्ठित कर्नाटक गायिका थीं।
- वह 1974 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय संगीतकार थीं और 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रदर्शन करने वाली प्रथम भारतीय बनीं।
- उन्हें 1998 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान "भारत रत्न" प्राप्त करने वाली प्रथम संगीतकार होने का गौरव भी मिला।

मद्रास संगीत अकादमी के बारे में

- संगीत अकादमी का उद्भव दिसंबर 1927 में मद्रास में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन से हुआ।
- इसे कर्नाटक संगीत के मानक स्थापित करने वाली संस्था के रूप में परिकल्पित किया गया था।
- अकादमी द्वारा आयोजित सबसे उल्लेखनीय कार्यक्रमों में इसका वार्षिक संगीत और नृत्य महोत्सव है।
- यह वर्ष के लिए संगीत कलानिधि, संगीत कला आचार्य, टीटीके और संगीतशास्त्री जैसे विभिन्न पुरस्कार भी प्रदान करती है।

स्रोत: TH

आलोक प्रभात: डांस ऑफ द डॉन

संदर्भ

- अरुणाचल प्रदेश के अंजॉ जिले के भारत के पूर्वतम गाँव *डोंग* ने 2026 की प्रथम सूर्योदय का उत्सव "आलोक प्रभात: डांस ऑफ द डॉन" के साथ मनाया।

'आलोक प्रभात: डांस ऑफ द डॉन' के बारे में

- सूर्योदय का स्वागत एक सांस्कृतिक प्रस्तुति "आलोक प्रभात: डांस ऑफ द डॉन" के साथ किया गया।
- इस प्रस्तुति में स्वदेशी मेयोर और मिश्मी समुदायों की सांस्कृतिक परंपराओं से प्रेरणा ली गई थी।
- इसमें पारंपरिक मंत्रोच्चार, गीत और स्वदेशी लय का प्रयोग किया गया, साथ ही पारंपरिक वाद्ययंत्रों का उपयोग किया गया।

स्रोत: TH

निमेसुलाइड

समाचार में

- सरकार ने 100 मि.ग्रा. से अधिक मात्रा वाली सभी ओरल फॉर्म्युलेशन्स में निमेसुलाइड के निर्माण, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है।

निमेसुलाइड

- यह एक *गैर-स्टेरॉयडल सूजन-रोधी दवा (NSAID)* है, जिसका व्यापक उपयोग तीव्र दर्द के उपचार में किया जाता है।
- यह उन रासायनिक संदेशवाहकों की रिलीज़ को रोककर कार्य करती है जो दर्द और सूजन (लालिमा और सूजन) का कारण बनते हैं।

Source :Air

थोरियम

संदर्भ

- शिकागो स्थित *क्लीन कोर थोरियम एनर्जी (CCTE)* ने NTPC लिमिटेड के साथ साझेदारी की है ताकि भारत के वर्तमान PHWRs (प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स) में थोरियम-आधारित परमाणु ईंधन क्रियान्वन किया जा सके। यह भारत–अमेरिका नागरिक परमाणु सहयोग के नए चरण को दर्शाता है।

परिचय

- CCTE ने ऐसा ईंधन विकसित किया है जो थोरियम को HALEU (हाई-असे लो-एनरिच्ड यूरेनियम) के साथ मिश्रित करता है, जिससे इसे भारत के वर्तमान PHWRs में उपयोग किया जा सके।
- इस ईंधन को *ANEEL (समृद्ध जीवन के लिए उन्नत परमाणु ऊर्जा)* कहा जाता है। यह PHWRs में बड़े पैमाने पर थोरियम तैनाती की अनुमति देता है, जिससे ऊर्जा सुरक्षा, रिएक्टर सुरक्षा और प्रसार प्रतिरोध बढ़ता है।

थोरियम क्या है?

- थोरियम पृथ्वी की पपड़ी में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक रेडियोधर्मी धात्विक तत्व है।
- यह *फर्टाइल* है, *फिसाइल* नहीं, अर्थात यह स्वयं परमाणु श्रृंखला अभिक्रिया को बनाए नहीं रख सकता।
- **भारत में थोरियम की उपलब्धता:** थोरियम मुख्य रूप से मोनाजाइट रेत से निकाला जाता है। विश्व के सबसे बड़े थोरियम भंडारों में से एक भारत में है।
- **प्रमुख भंडार पाए जाते हैं:**
  - केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय रेत में।
  - झारखंड और पश्चिम बंगाल की अंतर्देशीय नदीय रेत में।

भारत के लिए थोरियम का महत्व

- **संसाधन लाभ:** भारत के पास सीमित यूरेनियम है लेकिन प्रचुर मात्रा में थोरियम भंडार हैं।
- **ऊर्जा सुरक्षा:** आयातित परमाणु ईंधन पर निर्भरता कम करता है।
- **परमाणु व्यवहार:** थोरियम यूरेनियम की तरह फिसाइल नहीं है; यह फर्टाइल है और न्यूट्रॉन अवशोषित करने के बाद यूरेनियम-233 में परिवर्तित हो जाता है, जो परमाणु विखंडन को बनाए रख सकता है।
- **रणनीतिक महत्व:** भारत के दीर्घकालिक तीन-चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का अभिन्न हिस्सा।

स्रोत: IE

लैंड स्टैक

समाचार में

- *डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP)* के तहत ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और तमिलनाडु के पायलट स्थानों में 'लैंड स्टैक' लॉन्च किया।

लैंड स्टैक के बारे में

- लैंड स्टैक को एकीकृत, GIS-आधारित डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के रूप में परिकल्पित किया गया है, जो सिंगापुर, यूके और फ़िनलैंड जैसे देशों की सर्वोत्तम प्रथाओं से प्रेरित है।

लैंड स्टैक के लाभ

- नागरिकों को भूमि-संबंधी जानकारी तक एकीकृत पहुँच के माध्यम से सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है।
- नागरिक सुविधा, पारदर्शिता और विश्वास को बढ़ाता है।
- अनधिकृत या गैर-अनुपालन संपत्तियों की अनजाने में खरीद के जोखिम को कम करता है।
- अंतर-विभागीय समन्वय में सुधार करता है और डेटा-आधारित शासन का समर्थन करता है।
- भूमि प्रशासन में एक महत्वपूर्ण ई-गवर्नेंस सुधार का प्रतिनिधित्व करता है।

स्रोत: PIB

भारत द्वारा बैंकों को NPS के अंतर्गत पेंशन फंड प्रायोजित करने की अनुमति

संदर्भ

- *पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA)* ने बैंकों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत पेंशन फंड प्रायोजित करने और स्वतंत्र रूप से स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की है।

परिचय

- **बैंकों के लिए पात्रता शर्तें:** RBI-संरेखित मानदंडों का अनुपालन।
  - बैंकों को नेटवर्थ, बाज़ार पूंजीकरण और सावधानीपूर्ण सुदृढ़ता से जुड़ी पात्रता शर्तें भी पूरी करनी होंगी।
- **वर्तमान परिदृश्य:**
- वर्तमान में, बैंक *प्वाइंट्स ऑफ़ प्रेज़ेन्स* के रूप में कार्य करते हैं, जो सब्सक्राइबर पंजीकरण, योगदान और अन्य प्रणाली सेवाओं को संभालते हैं।
- वर्तमान में PFRDA के अंतर्गत 10 पंजीकृत पेंशन फंड हैं।
- नियामक ने 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले पेंशन फंडों के लिए निवेश प्रबंधन शुल्क संरचना को भी संशोधित किया है।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS)

- NPS एक *बाज़ार-लिंक्ड, परिभाषित-योगदान पेंशन योजना* है जिसे भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था।
- PFRDA, PFRDA अधिनियम 2013 के अंतर्गत NPS को नियंत्रित और प्रशासित करता है।
- निवेश: निधियों को चार परिसंपत्ति वर्गों में निवेश किया जाता है: इक्विटी (अधिकतम 75%), कॉर्पोरेट बॉन्ड, सरकारी प्रतिभूतियाँ और वैकल्पिक परिसंपत्तियाँ (अधिकतम 5%)।
- NPS भारत के सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है और विभिन्न उपयोगकर्ता वर्गों के आधार पर अलग-अलग मॉडल प्रदान करता है:
  - 1 जनवरी 2004 या उसके बाद शामिल होने वाले सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी NPS योजना के अंतर्गत आते हैं, सशस्त्र बलों को छोड़कर। यह केंद्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों तक भी विस्तारित है।
  - यह उन राज्य सरकार के कर्मचारियों/राज्य स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के लिए भी उपलब्ध है, यदि संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ने इसे अपनाया है।
  - NPS को निगम अपने कर्मचारियों के लिए स्वेच्छा से अपना सकते हैं और रोजगार की शर्तों के अनुसार NPS खाते में योगदान किया जाता है।
  - NPS का स्वैच्छिक मॉडल भारत के सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है, जिनमें विदेश में रहने वाले भी शामिल हैं, जिनकी आयु 18 से 70 वर्ष के बीच है।

Source: TH

BSNL द्वारा वॉयस ओवर वाई-फाई (VoWiFi) लॉन्च

समाचार में

- सरकारी दूरसंचार ऑपरेटर भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने पूरे देश में सभी दूरसंचार सर्किलों में वॉयस ओवर वाई-फाई (VoWiFi) सेवाएँ शुरू की हैं, जिससे उपयोगकर्ता वाई-फाई नेटवर्क पर वॉयस कॉल और एसएमएस भेज सकते हैं।

VoWiFi क्या है?

- वॉयस ओवर वाई-फाई (VoWiFi) एक तकनीक है जो उपयोगकर्ताओं को सक्षम बनाती है:
  - मोबाइल टावर की बजाय वाई-फाई नेटवर्क का उपयोग करके वॉयस कॉल और एसएमएस करने और प्राप्त करने के लिए।
  - वही मोबाइल नंबर और डिफ़ॉल्ट फोन डायलर का उपयोग करने के लिए।
  - किसी थर्ड-पार्टी ऐप के बिना संचालन करने के लिए।
  - यह IMS (IP मल्टीमीडिया सबसिस्टम) आर्किटेक्चर पर आधारित है, जो कैरियर-ग्रेड कॉल गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

स्रोत: PIB

द्वितीयक प्रदूषक

समाचार में

- *ऊर्जा और स्वच्छ वायु पर अनुसंधान केंद्र(CREA)* के हालिया विश्लेषण से पता चलता है कि द्वितीयक प्रदूषक अब दिल्ली के वार्षिक PM2.5 भार का लगभग एक-तिहाई योगदान करते हैं।

द्वितीयक प्रदूषक क्या हैं?

- द्वितीयक प्रदूषक सीधे उत्सर्जित नहीं होते।
- वे तब बनते हैं जब प्राथमिक प्रदूषक (गैसीय अग्रदूत) वायुमंडल में रासायनिक प्रतिक्रियाओं से गुजरते हैं।
- ये प्रतिक्रियाएँ सूर्य के प्रकाश, आर्द्रता, तापमान और वायु की स्थिति पर निर्भर करती हैं।
- प्रत्यक्ष उत्सर्जन के विपरीत, वे समय और स्थान के साथ जमा होते हैं, प्रायः मूल स्रोत से दूर, जिससे विनियमन कठिन हो जाता है।

प्रकार

- **अकार्बनिक एरोसोल:** अमोनियम सल्फेट (SO2 + NH3 से), अमोनियम नाइट्रेट (NOx + NH3 से)।
- **कार्बनिक एरोसोल:** वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों (VOCs) के ऑक्सीकरण से द्वितीयक कार्बनिक एरोसोल (SOA)।
- **सतही ओज़ोन:** NOx और VOCs की प्रकाश-रासायनिक प्रतिक्रियाओं से।

स्रोत: TH

प्राचीन मराठी साहित्य से स्पष्ट होता है कि सवाना अवनत वनों श्रेणी में नहीं

संदर्भ

- मध्यकालीन मराठी साहित्य के अध्ययन के अनुसार पश्चिमी महाराष्ट्र में सवाना सामान्यतः माने जाने से कहीं अधिक पुराने हैं और इन्हें अवनत वन नहीं माना जाना चाहिए।

सवाना

- सवाना को सामान्यतः मिश्रित वृक्ष-घास प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें निरंतर घास की परत के बीच बिखरे हुए पेड़ होते हैं।
  - इनकी विशेषता है: दूर-दूर फैले पेड़, निरंतर घास की परत और स्पष्ट गीला तथा शुष्क मौसम।
- यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है।
- घने वनों के विपरीत, सवाना में पेड़ फैले हुए होते हैं, जिससे पर्याप्त सूर्य का प्रकाश भूमि तक पहुँचता है और घास तथा शाकाहारी जीवों की विस्तृत श्रृंखला को समर्थन मिलता है।
- सवाना वहाँ पाए जाते हैं जहाँ उष्णकटिबंधीय वर्षावन का समर्थन करने के लिए पर्याप्त वर्षा नहीं होती, लेकिन इतना होता है कि यह मरुस्थल न बने।
- **सवाना आवास के उदाहरण:**
  - पूर्वी अफ्रीकी मैदान
  - दक्षिण अमेरिकी पम्पास
  - उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के खुले वन
- **भारत में सवाना"**
  - **दक्कन का पठा::** महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक के वर्षा-छाया क्षेत्र (अर्ध-शुष्क)।
  - **तराई क्षेत्र:** हिमालय की तलहटी में तराई-डुआर सवाना और घासभूमि अत्यधिक उत्पादक लंबी-

घास पारिस्थितिकी तंत्र हैं (गैंडे और बाघ का घर)।

- **पश्चिमी भारत:** राजस्थान और गुजरात के कुछ भाग(काँटेदार वनों की ओर संक्रमण)।

स्रोत: TH

भारत-पाकिस्तान द्वारा परमाणु प्रतिष्ठानों और नागरिक कैदियों की सूची का आदान-प्रदान

संदर्भ

- भारत और पाकिस्तान ने उन परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान-प्रदान किया जिन्हें शत्रुता की स्थिति में निशाना नहीं बनाया जा सकता, साथ ही एक-दूसरे की हिरासत में उपस्थित कैदियों की सूची भी साझा की।

परिचय

- **परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान-प्रदान:** पाकिस्तान और भारत ने 31 दिसंबर 1988 को हस्ताक्षरित *परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं पर हमलों के निषेध* समझौते के अंतर्गत अपनी-अपनी परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान-प्रदान किया।
  - यह समझौता दोनों देशों को प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को एक-दूसरे को परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की जानकारी देने का निर्देश देता है।
  - यह दोनों देशों के बीच ऐसी सूचियों के 35वें लगातार आदान-प्रदान को दर्शाता है। पहली बार यह आदान-प्रदान 1 जनवरी 1992 को हुआ था।
- **कैदियों की सूची का आदान-प्रदान:** दोनों देशों ने 21 मई 2008 को हस्ताक्षरित *दूतावासीय पहुँच समझौते* के अंतर्गत कैदियों की सूची का आदान-प्रदान किया।
  - सूचियों में एक-दूसरे की हिरासत में रखे गए नागरिकों और मछुआरों का विवरण शामिल है।

स्रोत: TH

■■■■